राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4) ( ).छात्रवृति/पोर्टल/सरलीकरण/2019-20/ 9721-10080 दिनांक : 12-2-2020

रजिस्ट्रार / डीन / निदेशक / प्रशासक,
राजकीय / निजी विश्वविद्यालय / बोर्ड / काउंसिल,
समस्त.....।

विषय : उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत महाविद्यालयों के मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, डॉ अम्बेडकर DNTs उत्तर मैट्रिक छात्रवृति एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजनाओं के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के बिन्दु संख्या 3(2) के अनुसार विद्यार्थी को छात्रवृति मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर पाठयक्रमों में अध्ययन के लिए दी जायेगी।

छात्रवृति योजना के संचालन हेतु विभागीय छात्रवृति पोर्टल पर महाविद्यालयों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 एवं 2019-20 के मान्यता/सम्बद्धता के दस्तावेजों का परीक्षण करने पर यह अवगत हो रहा है कि बहुत से महाविद्यालयों को संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल से मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है। इन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विभाग को अवगत कराया जा रहा है कि वर्तमान में विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा मान्यता/सम्बद्धता का कार्य नहीं किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बिना मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृति देय नहीं है इसलिए आपके विश्वविद्यालय के अधीन संचालित शिक्षण संस्थाओं को नियमानुसार शीघ्र मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने की कार्यवाही करने का श्रम करावें । यदि आपके विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा शिक्षण संस्थाओं को प्रतिवर्ष मान्यता/सम्बद्धता नहीं दी जाती है तो कृपया अवगत करावें कि किस दस्तावेज के आधार पर संस्थान को संबंधित सत्र में मान्यता प्राप्त मानते हुए छात्रवृति हेतु पात्र किया जा सके। मान्यता के अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान नहीं होने से केन्द्र एवं राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत प्राप्त छात्रवृति राशि का समय पर उपयोग नहीं होने पर राशि व्ययपगत हो जायेगी, जिसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल जिम्मेदार होगा। इसके अतिरिक्त उक्त कारणवशः यदि विद्यार्थी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने पर किसी तरह की आर्थिक देयता का निर्धारण किया जाता है तो संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल ही उत्तरदायी होगा।

12-02-2020

(नन्नूमल पहाड़िया)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4) ( ).छात्रवृति/पोर्टल/सरलीकरण/2019-20/ 10081-140 दिनांक : 12-2-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामा. न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, संबंधित प्रशासनिक विभाग,.....।
4. प्राचार्य, राजकीय/निजी, शिक्षण संस्थाएं.....।

अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

website – sje.rajasthan.gov.in e-mail: sjeaj_edu@yahoo.com Ph. 0141-2226626

Scanned by CamScanner